

फोन : कार्यालय - 0551-2340363

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : 900 /सम्बद्धता/2006

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप महाविद्यालय,

जंगल धूषण, पादरी बाजार,

गोरखपुर।

दिनांक : 07/जून/2006

विषय : प्रवक्ता चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक शून्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ता चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है :-

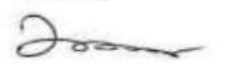
क्र.सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1.	डा० प्रदीप कुमार राव	प्रा० इतिहास
2.	डा० विजय कुमार चौधरी	भूगोल
3.	श्री आशुतोष कुमार सिंह	समाजशास्त्र
4.	कु० ज्योति वर्मा	हिन्दी
5.	श्री रजनीश मिश्र	अर्थशास्त्र
6.	डा० आर० एन० सिंह	प्राणि विज्ञान
7.	डा० स्नेह लता त्रिपाठी	वनस्पति विज्ञान
8.	डा० शिव कुमार बर्नवाल	रसायन विज्ञान
9.	श्री सुनील कुमार पाठक	भौतिक विज्ञान
10.	डा० अलका श्रीवास्तव	गणित
11.	डा० अरविन्द कुमार शुक्ला	वाणिज्य

- महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2 (85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
- शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मई, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय ।
- प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1984 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय ।

संलग्नक : 1. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति।

2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की प्रति

भवदीय,



कुलसचिव

26/06/2006

फोन : कार्यालय - 0551-2340363

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : 1125 /सम्बद्धता/2006

दिनांक : 27/जून/2006

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप महाविद्यालय,
जंगल धूषण, पादरी बाजार,
गोरखपुर।

विषय : प्रवक्ता चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 08.06.2006 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ता चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है :-

क्र.सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1.	श्री लोकेश कुमार प्रजापति	प्रा0 इतिहास
2.	डा0 अच्युत कुमार सिंह	अर्थशास्त्र
3.	डा0 अविनाश प्रताप सिंह	राजनीतिशास्त्र
4.	श्री अमरेन्द्र कुमार	भौतिक विज्ञान

1. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2 (85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मई, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय ।
3. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1984 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

संलग्नक : 1. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति ।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की प्रति

कुलसचिव

2/ 366-06

फोन : कार्यालय - 0551-2340363

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

इस कार्यालय को भेजे जाने
वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र
व्यवहार की संख्या, दिनांक
तथा उद्धृत विभाग का नाम
दिया जाय ।

पत्रांक : 1139/सम्बद्धता/2006

दिनांक : 28/जून/2006

सेवा में,

प्रबन्धक,

महराणा प्रताप महाविद्यालय,
जंगल धूषण पादरी बाजार,
गोरखपुर।

विषय : प्राचार्य चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

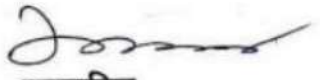
उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 08.06.2006 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर डा० प्रदीप कुमार राव को प्राचार्य पद पर चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है :-

1. महाविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्राचार्य के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मई, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा प्राचार्य को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त प्राचार्य को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय ।

भवदीय,

संलग्नक : 1. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति।

2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की प्रति।


कुलसचिव
26.6.06

फॉन : कार्यालय - 0551 - 2340353

आवास - 0551 - 2201507

415

कुलसचिव,

दीनशान्त लुपाध्याय मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय,

गाण्डुपुर - 273009

ଝରା ଉପରେ ଥିବା ଶୁଣା ଗାଈ
ଗାଈ ଉପରେ ଥିବା ଶୁଣା ଗାଈ
ଗାଈ ଉପରେ ଥିବା ଶୁଣା ଗାଈ
ଗାଈ ଉପରେ ଥିବା ଶୁଣା ଗାଈ

पत्रांक: 1178 / अमृतदास / 2007

दिनांक: २५/०९/२००७

सोना में,

प्रत्यक्षक.

महाराष्ट्र प्रज्ञापीठ महाराष्ट्र विद्यापीठ,

이것이 바로, **마르셀루스**!

विषय: स्नातक स्तर पर प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

1639

संयुक्त विपणन महाविद्यालय के पत्र दिनांक: 27.07.2007 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि कुलपति जी से पत्रन संचालित की प्रवृत्ति ने आचार पर निम्नलिखित प्रवृत्ति के पत्रन न अनुमोदन सहित प्रदान करने की कृपा की है:

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	डा० विवेक शर्मा	प्रवक्ता गणित
2.	डा० अणु कुमार श्रीवास्तव	प्रवक्ता जनरल गति विज्ञान
3.	कु० दिव्या पाण्डेय	प्रवक्ता रसायन विज्ञान
4.	डा० प्रदिप कुमार	प्रवक्ता भूगोल

1. मार्गनिर्देशन में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/संतर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा भी एक महीने एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यालय ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति निम्नविद्यालय को स्थलगत करने का अवसर देकर।
2. शासनादेश संख्या: 759/संतर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्ग, 2005 में सक्षिप्तित निर्देशों के अनुसार प्राप्ति शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाये वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन प्राप्ति का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाण्टग्रेडी वेतन के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रीटर्न भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: 1. शारदादेश संख्या: 2443/सशर-2-2009-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000
की प्रती।
2. शारदादेश संख्या: 759/सशर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005
की प्रती।

भवदीय,

३१
२२१९
का. कुलरावित
१२

27/9/17

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया

पत्रांक: 1958 /सम्बद्धता/2008

दिनांक: 23/09/2008

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप महाविद्यालय,

जंगल घूसड़, गोरखपुर।

विषय : स्नातक स्तर पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रवक्ता चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र दिनांक: 30.08.2008 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है:-

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	डॉ० राजेश शुक्ला	प्रवक्ता वाणिज्य
2.	श्री गौतम प्रसाद	प्रवक्ता वाणिज्य
3.	श्री पुरुषोत्तम पाण्डेय	प्रवक्ता अर्थशास्त्र
4.	डॉ० (श्रीमती) आरती सिंह	प्रवक्ता हिन्दी
5.	श्री प्रकाश प्रियदर्शी	प्रवक्ता समाजशास्त्र

१. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09. मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

२. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।

३. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 की प्रति।

2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव
20.9.08
20.9.08
20.9.08

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363
आवास - 0551 - 2201507
प्रेषक,



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

पत्रांक 4339 / सम्बद्धता / 2011
सेवा में,

दिनांक 25/6/2011

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जंगल धूषण, गोरखपुर।

विषय: स्नातक स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र 05.05.2011 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है -

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	श्री शशिकांत सिंह	रक्षा अध्ययन
2.	श्री जितेन्द्र कुमार	रक्षा अध्ययन
3.	श्री सुनील कुमार मिश्र	मनोविज्ञान
4.	श्री अभय प्रताप सिंह	मनोविज्ञान
5.	श्री कृष्ण राज शर्मा	मनोविज्ञान
6.	श्री सन्तोष कुमार	भौतिक विज्ञान
7.	डॉ० महेन्द्र प्रताप सिंह	इतिहास
8.	डॉ० अशोक कुमार उपाध्याय	इतिहास
9.	डॉ० मयंक श्रीवास्तव	इतिहास

शर्तें—

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09., मई, 2000 की प्रति।

2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव

23/6/11

फोन : कार्यालय — 0551 — 2340363

आवास — 0551 — 2201507

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर — 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक.....4152...../सम्बद्धता/2011

दिनांक 1/7/2011

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय

जंगल धूषण, गोरखपुर।

विषय: स्नातकोत्तर स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास एवं रसायन विज्ञान विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र 05.05.2011 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातकोत्तर स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है —

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	श्री लोकेश कुमार प्रजापति	प्राचीन इतिहास
2.	डॉ० मुरली मनोहर तिवारी	प्राचीन इतिहास
3.	डॉ० भारती सिंह	प्राचीन इतिहास
4.	कु० प्रीति तिवारी	प्राचीन इतिहास
5.	कु० शालिनी चौधरी	प्राचीन इतिहास
6.	डॉ० अशोक कुमार शाही	प्राचीन इतिहास
7.	डॉ० ब्रजभूषण मिश्र	रसायन विज्ञान
8.	डॉ० शिव कुमार बर्नवाल	रसायन विज्ञान
9.	डॉ० शालिनी सिंह	रसायन विज्ञान
10.	डॉ० राम सहाय	रसायन विज्ञान
11.	डॉ० गीता सिंह	रसायन विज्ञान
12.	डॉ० सुनील कुमार सिंह	रसायन विज्ञान

शर्त—

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।

3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 की प्रति।

2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव

30/6/11 30/6/11

फोन : कार्यालय — 0551 — 2340363
आवास — 0551 — 2201507
प्रेषक,



कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर — 273009

पत्रांक 4663 / सम्बद्धता / 2011

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

दिनांक 8 / 8 / 2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जंगल घूसड़, गोरखपुर

विषय: स्नातक स्तर पर वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र 04.07.2011 / 22.07.2011 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है —

प्रवक्ता — वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	श्री प्रमोद प्रेमदास सुखदेवे	प्रवक्ता कम्प्यूटर साइंस
2.	श्री रामेश्वर पति	प्रवक्ता कम्प्यूटर साइंस
3.	श्री सुभाष कुमार गुप्त	प्रवक्ता वाणिज्य
4.	डॉ० अजय कुमार शर्मा	प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स
5.	डॉ० रमापित मिश्र	प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स

शर्तें—

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोलर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 की प्रति।

2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव

06/08/2011

48/11

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363
आवास - 0551 - 2201507
प्रेषक,



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009
पत्रांक 4808/सम्बद्धता/2011

दिनांक 29/8/2011

सेवा में,

प्रबन्धक,
महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जंगल घूसड़, गोरखपुर

विषय: स्नातक स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र 29.06.2011 एवं 29.07.2011 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है -

प्रवक्ता - कला एवं विज्ञान संकाय

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	श्री शुभांशु शेखर सिंह	प्रवक्ता रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
2.	श्रीमती कविता मध्याहन	प्रवक्ता अंग्रेजी

शर्तें-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. प्रवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 की प्रति।

2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।
भवदीय,

कुलसचिव

24/08/2011
24/8/11



महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय

जंगल धूसड़, गोरखपुर
दूरभाष : 0551-2105416

पत्रांक

दिनांक 10.08.2015

अनुमोदन / नियुक्ति पत्र

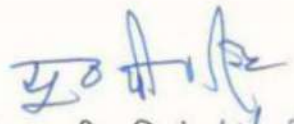
सेवा में,
डॉ. अविनाश प्रताप सिंह
राजनीतिशास्त्र, परास्नातक

विषय : महाराणा प्रताप पी0जी0 कालेज जंगल धूसड़ में असिस्टेंट प्रोफेसर
के पद पर अनुमोदन एवं नियुक्ति के सन्दर्भ में,

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31.11(सी)
के अन्तर्गत आपका राजनीतिशास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन
स्वीकार करने के आधार पर आपको यह नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा रहा है।

आप छात्रहित में पत्र प्राप्ति के सात दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण
करने का कष्ट करें, जिससे कि आपके विषय की तत्काल पढ़ाई प्रारम्भ की जा
सके।


प्रो० यू०पी० सिंह 10/08/15
(अध्यक्ष)

अध्यक्ष
महाराणा प्रताप महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273009

पत्रांक: दी०द०उ०गो०वि०वि०/सम्बद्धता/2015/1280
सेवा में,

दिनांक 28/9 /2015

प्राचार्य

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

विषय: स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 27.08.2015 एवं 04.09.2015 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	कु० अन्जली	श्री राम आचार	17.05.1989	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य
2	श्रीमती शिप्रा सिंह	श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह	07.01.1983	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य
3	कु० हिमान्दी सिंह	श्री विजय शंकर सिंह	11.08.1988	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य
4	डा० अनुभा श्रीवास्तव	श्री भगवान शरण लाल श्रीवास्तव	01.07.1978	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य
5	पूजा पाण्डेय	श्री वीरेन्द्र प्रसाद दूबे	15.07.1983	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
6	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	श्री सुभाष गुप्ता	12.04.1990	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
7	श्री देव चन्द प्रजा	श्री लक्ष्मी सिंह	10.07.1990	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
8	ममता शर्मा	श्री चन्द्र मोहन शर्मा	13.10.1983	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
9	पुष्पा निषाद	श्री राम समुझ निषाद	05.01.1988	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
10	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	श्री राम कुंवर सिंह	30.04.1980	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
11	प्रतिभा मणि त्रिपाठी	श्री कृष्ण कुमार मणि त्रिपाठी	24.04.1984	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
12	श्री सर्वेश शंकर त्रिपाठी	श्री गजानन्द त्रिपाठी	10.07.1986	प्रवक्ता, बी०एड०, शिक्षण विषय
13	श्री मृत्यन्जय कुमार सिंह	श्री विजेन्द्र प्रताप सिंह	01.07.1980	प्रवक्ता, बी०एड०, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षाएँ
14	श्रीमती कंचन सिंह	श्री रंजीत सिंह	10.04.1985	प्रवक्ता, बी०एड०, ललित कलाएँ
15	दीप्ति गुप्ता	श्री ईश्वर देव	01.07.1992	प्रवक्ता, बी०एड०, निष्पादन कलाएँ

नोट:

- चयनित प्रवक्ताओं के नेट प्रमाणपत्रों की यू०जी०सी से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ताओं का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ताओं का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।

शर्त-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट का उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या: 968/70-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टेबिलिटी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

अधीक्षक (सम्बद्धता)

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363

आवास - 0551 -

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/2017/...2404

दिनांक 20.04.2017

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूषण,
गोरखपुर।

विषय- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम०काम० पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 05.04.2017 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम०काम० पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	श्रीमती विभा सिंह	श्री राधे श्याम सिंह	19-12-1983	प्रवक्ता, बी०एड०
2	सुश्री श्वेता चौबे	श्री भैरव नाथ चौबे	01-07-1990	प्रवक्ता, बी०एड०
3	श्री सत्य प्रकाश सिंह	श्री लक्ष्मीकान्त सिंह	02-03-1978	प्रवक्ता, बी०एड०
4	श्रीमती साधना सिंह	श्री लाल बचन सिंह	10-05-1988	प्रवक्ता, बी०एड०
5	श्री नवनीत कुमार सिंह	श्री इन्द्र प्रकाश सिंह	03-01-1990	प्रवक्ता, बी०एड०
6	श्री जितेन्द्र कुमार प्रजापति	श्री बालिस्टर प्रजापति	12-08-1981	प्रवक्ता, बी०एड०
7	श्री नन्दन शर्मा	श्री सत्यदेव प्रसाद शर्मा	01-06-1979	प्रवक्ता, एम०काम०
8	श्री सुभाष कुमार गुप्ता	श्री राम औतार गुप्ता	15-07-1982	प्रवक्ता, एम०काम०

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- क्रम संख्या 2, 7 एवं 8 पर चयनित प्रवक्ता के नेट प्रमाणपत्रों की यू०जी०सी० से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- श्री कृष्ण कुमार, चयनित प्रवक्ता एम०काम० का चयन अनुमोदन सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, मोहरीपुर, गोरखपुर में होने के कारण संदर्भित महाविद्यालय में अनुमोदन नहीं किया गया है।
- उपरोक्त चयनित प्रवक्ताओं का अनुमोदन इस शर्त के अधीन किया गया है कि चयनित प्रवक्ता इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों अथवा अन्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अनुमोदित/कार्यरत नहीं होने के सम्बन्ध में प्रवक्ताओं का शपथपत्र प्रस्तुत करने के अधीन अनुमोदन मान्य होगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में, समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

प्रभारी/अधीक्षक
(सम्बद्धता)

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363

आवास - 0551 -

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2018/ 4330

दिनांक 07/04/2018

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

विषय : चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 06.03.2018 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम, विज्ञान संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान, रक्षा अध्ययन, रसायनशास्त्र तथा कला संकाय के अन्तर्गत संस्कृत एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	डॉ० अभिषेक सिंह	श्री महेंद्र सिंह	03.06.1988	प्रवक्ता, रक्षा अध्ययन (स्नातक स्तर)
2	श्री रमाकान्त दूबे	श्री कमला प्रसाद दूबे	10.01.1980	प्रवक्ता, रक्षा अध्ययन (स्नातक स्तर)
3	श्री संजय जायसवाल	श्री धर्मेन्द्र कुमार जायसवाल	01.05.1991	प्रवक्ता, रसायन विज्ञान (स्नातक स्तर)
4	श्री गौरव तिवारी	श्री राकेश कान्त तिवारी	10.02.1992	प्रवक्ता, रसायन विज्ञान (स्नातक स्तर)
5	रघुना सिंह	श्री प्रहलाद सिंह	12.08.1992	प्रवक्ता, बी०एड०
6	डॉ० इन्दुमती सिंह	श्री चन्द्रभान सिंह	28.03.1974	प्रवक्ता, संस्कृत (स्नातक स्तर)
7	साधना सिंह	श्री लाल बचन सिंह	10.05.1988	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र (स्नातक स्तर)

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- क्रम संख्या 2, 3, 4, 5 एवं 7 पर अंकित चयनित प्रवक्ता के नेट प्रमाणपत्रों की यू०जी०सी० से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं सविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- उपर्युक्त क्रम संख्या 4 एवं 7 पर अंकित क्रमशः गौरव तिवारी एवं साधना सिंह का नेट प्रमाण पत्र, एक माह के अन्दर प्रस्तुत करने की शर्त पर अनुमोदन, अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जाय।
- निम्नलिखित चयनित प्रवक्ताओं के सम्मुख उल्लिखित कमियों के कारण संदर्भित महाविद्यालय में अनुमोदन नहीं किया गया है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	चयनित प्रवक्ता, गृहविज्ञान (स्नातक स्तर)	कमियाँ
1	किरण सिंह	श्री इन्दुसेन	01.08.1990	चयनित प्रवक्ता, गृहविज्ञान (स्नातक स्तर)	किसी अन्य महाविद्यालय में चयन अनुमोदन होने के कारण

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित सविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबध पत्र में समवायधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेबल चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भददीय,

07/04/2018

प्रभारी/अधीक्षक
(सम्बद्धता)

सिंह

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363

आवास - 0551 -

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2018/ 4553

दिनांक 09/06/2018

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल घूषण, गोरखपुर।

विषय : चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 10.04.2018 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृहविज्ञान विषय में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	किरण सिंह	श्री इन्दरसेन	01.08.1990	प्रवक्ता, गृहविज्ञान (स्नातक स्तर)

नोट-

1. उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
3. क्रम संख्या 1 पर चयनित प्रवक्ताओं के नेट प्रमाणपत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

09/06/2018

प्रमारी/अधीक्षक

(सम्बद्धता)

प्रतिलिपि, प्राचार्य, पं0 ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी किसान महाविद्यालय, आभूराम तुर्कवलिया, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमारी/अधीक्षक
(सम्बद्धता)

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363

आवास - 0551 -

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2018/ 4682

दिनांक 17/07/2018

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूषण, गोरखपुर।

विषय : चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 30.05.2018 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवक्ताओं का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	सत्यानन्द दूबे	श्री नरदेश्वर दूबे	15.01.1992	प्रवक्ता, भूगोल (पी0जी0 स्तर)
2	शालू श्रीवास्तव	श्री शम्भू नाथ श्रीवास्तव	31.07.1986	प्रवक्ता, भूगोल (पी0जी0 स्तर)
3	डॉ0 प्रवीन्द्र कुमार	श्री राज बहादुर शाही	05.01.1964	प्रवक्ता, भूगोल (पी0जी0 स्तर)
4	डॉ0 विजय कुमार चौधरी	श्री हरीराम चौधरी	01.12.1964	प्रवक्ता, भूगोल (पी0जी0 स्तर)
5	बृज भूषण लाल	श्री झीनक प्रसाद	07.07.1984	प्रवक्ता, समाजशास्त्र (पी0जी0 स्तर)
6	डॉ0 हनुमान प्रसाद उपाध्याय	श्री राम निधि उपाध्याय	31.10.1977	प्रवक्ता, समाजशास्त्र (पी0जी0 स्तर)
7	प्रकाश प्रियदर्शी	श्री देव नारायण	16.10.1979	प्रवक्ता, समाजशास्त्र (पी0जी0 स्तर)
8	डॉ0 सौरभ कुमार सिंह	श्री धर्मराज सिंह	01.01.1985	प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास (स्नातक स्तर)
9	मो0 उमर	श्री मो0 युनुस	12.08.1988	प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास (स्नातक स्तर)
10	डॉ0 रघुबीर नारायण सिंह	श्री शीतल प्रसाद	21.03.1968	प्रवक्ता, प्राणि विज्ञान (पी0जी0 स्तर)
11	डॉ0 शिव कुमार	श्री राम नरेश प्रसाद	07.07.1987	प्रवक्ता, प्राणि विज्ञान (पी0जी0 स्तर)
12	डॉ0 नवनीत कुमार	श्री दीनानाथ सोनकर	10.06.1990	प्रवक्ता, प्राणि विज्ञान (पी0जी0 स्तर)
13	डॉ0 अभय कुमार श्रीवास्तव	श्री ईश्वर शरण श्रीवास्तव	25.10.1963	प्रवक्ता, वनस्पति विज्ञान (पी0जी0 स्तर)
14	डॉ0 अनिमेष तरफदार	श्री शम्भूतोष तरफदार	03.09.1977	प्रवक्ता, वनस्पति विज्ञान (पी0जी0 स्तर)
15	डॉ0 स्नेहा चौधरी	श्री राम किशोर चौधरी	15.08.1985	प्रवक्ता, वनस्पति विज्ञान (पी0जी0 स्तर)

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उ अनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- क्रम संख्या 1, 2, 5, 7 एवं 9 पर चयनित प्रवक्ताओं के नेट प्रमाणपत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- निम्नलिखित चयनित प्रवक्ताओं के सम्मुख उल्लिखित कमियों के कारण संदर्भित महाविद्यालय में अनुमोदन नहीं किया गया है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय	कमियाँ
1	डॉ0 कविता	श्री जीत नारायण	05.05.1962	चयनित प्रवक्ता, समाजशास्त्र (पी0जी0 स्तर)	नेट प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संलग्न न होने के कारण
2	डॉ0 निर्मिता सोनकर	श्री रविन्द्र सोनकर	14.12.1964	चयनित प्रवक्ता, वनस्पति विज्ञान (पी0जी0 स्तर)	यू0जी0सी0 रेगुलेशन, 2018 के अनुसार प्रमाण पत्र न होने तथा अन्य महाविद्यालय में अनुमोदन होने के कारण

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबंध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

प्रभारी/अधीक्षक
(सम्बद्धता)

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363

आवास - 0551 -

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2018/4697

दिनांक 21/07/2018

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूषण, गोरखपुर।

विषय : चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 28.06.2018 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवक्ताओं का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	डी० रजनीश कुमार चतुर्वेदी	श्री हरिश्चर चतुर्वेदी	01.06.1974	प्रवक्ता, बी०जे०
2	डी० केदार नाथ	श्री रमाशंकर प्रसाद	01.01.1970	प्रवक्ता, बी०जे०
3	श्री देवेन्द्र नाथ त्रिपाठी	श्री शशिनूषण तिवारी	05.01.1989	प्रवक्ता, बी०जे०

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकार में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत है, तो उ अन्तर्गत अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- क्रम संख्या 3 पर चयनित प्रवक्ता के SLET प्रमाणपत्र का यू०जी०सी० से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- क्रम संख्या 3 पर अंकित प्रवक्ता का स्नातक, स्नातकोत्तर एवं एम०जे० की डिग्री एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने की शर्त पर अनुमोदित।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबंध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

21/07/2018

प्रभारी/अधीक्षक
(सम्बद्धता)

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363

आवास - 0551 -

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में 'पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्घृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2019/ 115

दिनांक 24/10/2019

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धुबन, गोरखपुर।

विषय : घयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 10.01.2019 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने घयन समिति की संसुति के आधार पर स्ववितापोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में प्रवक्ताओं के घयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवक्ताओं का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	पल्लवी नायक	श्री सदानन्द नायक	25-01-1990	प्रवक्ता, गृहविज्ञान (स्नातक स्तर)
2	डॉ० कुसुम लता सिंह	श्री राम उज्जागर सिंह	07-06-1986	प्रवक्ता, सांख्यिकी (स्नातक स्तर)
3	डॉ० वैकट रमन	श्री जय गोविन्द पोण्डेय	17-02-1986	प्रवक्ता, मनोविज्ञान (स्नातक स्तर)
4	डॉ० अखिलेश कुमार गुप्ता	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता	01-09-1987	प्रवक्ता, वनस्पति विज्ञान (स्नातक स्तर)

नोट-

- उपर्युक्त घयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत है, तो उक्त अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- उपर्युक्त क्रम संख्या 1 पर घयनित प्रवक्ताओं के NET प्रमाणपत्र का यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त घयनित अभ्यर्थी का घयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- प्राचार्य/प्रबन्धक, नेशनल प्री0जी0 कालेज, बड़हलंगज, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि डॉ० वैकट रमन, प्रवक्ता, मनोविज्ञान ने विश्वविद्यालय को सूचित किया है कि "संदर्भित महाविद्यालय द्वारा मुझे नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है," के संबंध में आवश्यकतानुसार आख्या प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववितापोषित प्राध्यापकों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबंध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

प्रभारी/अधीक्षक
(सम्बद्धता)

फोन : कार्यालय

0551-2340363

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बन्धिता/शि.अनु./2021/09-2057

दिनांक 06/09/2021

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल धूषण गोरखपुर।

विषय : चयनित प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 05.04.2021 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवक्ताओं का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	सुश्री अर्चिता चौरसिया	श्री चिरंजीव चौरसिया	26-Jun-96	प्रवक्ता, गृहविज्ञान NET
2	डॉ० नेहा कौशिक	श्री विशाल कुमार कौशिक	6-Jan-86	प्रवक्ता, गृहविज्ञान Ph.D.
3	डॉ० संतवना श्रीवास्तव	श्री अरुण कुमार	20-Apr-82	प्रवक्ता, गृहविज्ञान Ph.D.
4	सुश्री स्मिता दूबे	श्री जे०एन० दूबे	4-Apr-96	प्रवक्ता, गृहविज्ञान NET

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- उपर्युक्त क्रम संख्या 1 एवं 4 पर चयनित प्रवक्ता के नेट प्रमाणपत्र का यू०जी०सी० से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अन्यथा का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- डॉ० रुचि श्रीवास्तव (अस्थाना) पुत्री श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव का हाई स्कूल से पी०जी० तक के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में रुचि श्रीवास्तव अंकित है जबकि पी-एच०डी० उपाधि में रुचि अस्थाना अंकित है, के सम्बन्ध में आख्या/अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त अनुमोदन पर विचार किया जायेगा।

1	डॉ० रुचि श्रीवास्तव (अस्थाना)	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	5-Apr-84	प्रवक्ता, गृहविज्ञान	Ph.D.
---	-------------------------------	-----------------------------	----------	----------------------	-------

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता/प्राचार्य की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या 226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा प्रवक्ता/प्राचार्य को रखे जाने वाले अनुबंध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त प्रवक्ता/प्राचार्य एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- प्रवक्ता/प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। भवदीय,

भवदीय,

(विशेश्वर प्रसाद)

कुलसचिव

फ़ोन : कार्यालय 0551-2340363

प्रश्नक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2022/09/ 3219

दिनांक 21 सितम्बर/2022

सेवा में,

प्राचार्य,

महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल धूषण गोरखपुर।

विषय : चयनित प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2022 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवक्ताओं का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	डॉ० सलील कुमार पाण्डेय	श्री सुशील कुमार पाण्डेय	15-Dec-78	प्रवक्ता (राजनीतिशास्त्र) (पी०जी० स्तर)
2	उपेन्द्र मणि त्रिपाठी	श्री धनश्याम त्रिपाठी	5-Dec-85	प्रवक्ता (इतिहास) (पी०जी० स्तर)
3	डॉ० अर्चना गुप्ता	श्री रामनारायण प्रसाद गुप्ता	1-Dec-82	प्रवक्ता (इतिहास) (पी०जी० स्तर)
4	अनूप कुमार पाण्डेय	श्री केशव नारायण पाण्डेय	1-Jul-85	प्रवक्ता (इतिहास) (पी०जी० स्तर)
5	डॉ० इक्वाक प्रताप सिंह	श्री दिनेश सिंह	1-May-85	प्रवक्ता (प्राचीन इतिहास) (पी०जी० स्तर)

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- उपर्युक्त क्रम संख्या 2 से 5 तक चयनित प्रवक्ता के नेट प्रमाणपत्र का यू०जी०सी० से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता/प्राचार्य की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या 226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा प्रवक्ता/प्राचार्य को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त प्रवक्ता/प्राचार्य एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- प्रवक्ता/प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

(विशेश्वर प्रसाद)

कुलसचिव

फोन : कार्यालय 0551-2340363

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2023/08/ 4093

दिनांक 17 अगस्त/2023

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल धूषण गोरखपुर।

विषय : चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 07.08.2023 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षक के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवक्ता का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	सूरज कुमार मिश्रा	श्री ओम प्रकाश मिश्रा	01.07.1986	प्रवक्ता, बी०सी०ए० (यू०जी० स्तर)
2	प्रियांशु श्रीवास्तव	श्री ध्रुव नारायण श्रीवास्तव	07.05.1987	प्रवक्ता, बी०सी०ए० (यू०जी० स्तर)
3	अनिल कुमार	श्री प्रभु दयाल गुप्ता	15.02.1978	प्रवक्ता, बी०सी०ए० (यू०जी० स्तर)
4	डॉ० संदीप कुमार श्रीवास्तव	श्री ब्रिज कुमार श्रीवास्तव	07.11.1983	प्रवक्ता, बी०एड० (फाइन आर्ट)
5	डॉ० सत्येन्द्र नाथ शुक्ला	श्री सचिन्द्र नाथ शुक्ला	01.07.1977	प्रवक्ता, बी०एड० (शारीरिक शिक्षा)
6	अर्पिता सिंह	श्री ओम प्रकाश मल्ल	15.07.1982	प्रवक्ता, बी०एड० (शिक्षारास्त्र)
7	सत्य प्रकाश मौर्या	श्री हीरामन प्रसाद	02.07.1969	प्रवक्ता, बी०एड० (भूगोल)

नोट-

- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ता का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अनुमोदित प्रवक्ता का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- उपर्युक्त क्रम संख्या 6 एवं 7 पर चयनित प्रवक्ता के नेट प्रमाणपत्र का यू०जी०सी० से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- उपर्युक्त क्रम संख्या 3 पर चयनित प्रवक्ता अनिल कुमार का पूर्व महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता/प्राचार्य की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या 228/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा प्रवक्ता/प्राचार्य को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त प्रवक्ता/प्राचार्य एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- प्रवक्ता/प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

(प्रो० अजय सिंह)

कुलसचिव

फोन : कार्यालय 0551-2340363

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2024/08/ 5550

दिनांक 09/अगस्त/2024.

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल धूषण गोरखपुर।

विषय : चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 19.07.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षक के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

सहायक आचार्य का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	सहायक आचार्य का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	डॉ० सी०एस० रघुवंशी	श्री भानू प्रताप सिंह	14.07.1979	बी०ए०-कम्प्यूटर एप्लीकेशन PHD-2014
2	डॉ० अभय शुक्ला	श्री सतीश कुमार शुक्ला	12.02.1980	बी०सी०ए० PHD-2012
3	डॉ० सतेन्द्र नाथ शुक्ला	श्री सच्चिदानन्द शुक्ला	01.07.1977	बी०ए०-शारीरिक शिक्षा PHD-2014

नोट- 1 उपर्युक्त चयनित सहायक आचार्य का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

2 अनुमोदित सहायक आचार्य का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।

शर्त- 1 महाविद्यालय में प्रवक्ता/प्राचार्य की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

2 शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या 226/सत्तर-2-2020-18(31) /2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा प्रवक्ता/प्राचार्य को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त प्रवक्ता/प्राचार्य एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।

3 प्रवक्ता/प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

(प्रो० शांतनु रस्तोगी)

कुलसचिव

फोन : कार्यालय 0551-2340363

प्रेषक,

कुलसचिव,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2024/09/5734

दिनांक 03 सितम्बर/2024.

सेवा में,

प्रबन्धक,

महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूषण, गोरखपुर।

विषय : चयनित सहायक आचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 24.08.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सहायक आचार्य के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षक के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

सहायक आचार्य का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	सहायक आचार्य का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय	
1	डॉ० क्षमा मिश्रा	श्री सतीश शंकर मिश्रा	03.11.1986	बीबीए-रिटेल	PHD-2015
2	सुश्री साक्षी चौबे	श्री राकेश चौबे	20.04.1997	बीबीए-रिटेल	NET-2023
3	श्री नन्दन शर्मा	श्री सत्यदेव प्रसाद शर्मा	01.06.1979	बीबीए-रिटेल	NET-2016

-
- नोट- 1 उपर्युक्त चयनित सहायक आचार्य का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त शिक्षक कहीं अन्यत्र कार्यरत हैं, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 2 अनुमोदित सहायक आचार्य का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।
- 3 उपर्युक्त चयनित सहायक आचार्य के नेट प्रमाणपत्र का यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

- शर्तें- 1 महाविद्यालय में प्रवक्ता/प्राचार्य की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- 2 शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30, मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या 226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा प्रवक्ता/प्राचार्य को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त प्रवक्ता/प्राचार्य एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।

- 3 प्रवक्ता/प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

(प्रो० शांतनु रस्तोगी)
कुलसचिव